न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 77/2021 **प्रार्थना पत्र**

1. श्री रामीबाई वेवा दलीचंद जाति तेली निवासी– बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और से:– अधिवक्ता श्री आशाराम उपस्थित

आदेश

दिनांक:– 31.05.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी रामीबाई बेवा दलीचंद जाति तेली निवासी बिनोता ने बिन्दु संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता त0 निम्बाहेड़ा के साबिक खाता स. 681 आराजी नम्बर 2667/2483 रकबा 1.2600 हे0 हैं । प्रार्थी आराजीयात पूर्व में सरदार सिंह पिता रूपसिंह जी राजपूत निवासी बिनोता के खातेदारी की चली आ रहा थी, जिसके पुरान आराजी न0 1483 मीन रकबा 74 बीघा 12 बिस्वा लगानी 32 रू. 72 पैसे थी तथा उक्त आराजीयात मेसे 5 बीघा आरजीयात पूर्व दिशा की ओर की प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.7.2003 को खरीदी तब से ही उक्त आराजीयात पर कब्जा प्रार्थीया का ही चल रहा हैं । मूल आराजी न0 1483 रकबा 74 बीघा 12 बिस्वा के सेंटलमेंट होने के बाद नये आराजी नम्बर अंकित किये गये प्रार्थीया के नये आराजी नम्बर 2667/2483 रकबा 1.2600 हेक्टर है तथा उक्त आराजीयात के शेष नये आराजी नम्बर 2483 रकबा 5.7200 हेक्टयर बीड 2 आ0न0 2483 रकबा 0.9200 श्रीमति लीलाबाई धाकड के खाते को भी बडी 2 तथा इसी प्रकार आ0न0 2665/2483 रकवा 1.0100 हे0 इसी प्रकार आ0न0 2666 / 2483 रकबा 1.0100 हे0 बीड 2 खातेदार प्रहलाद धाकड आ0न0 2688/2483 रकबा 5.000 हे0 बीड 2 खातेदार भंवरलाल आ0न0 2663/2483 रकबा 0.5100 हे0 बीड–2 खातेदार रामनारायण धाकड आ0न0 2664/2483 रकबा 0.5100 हे0 बीड 2 खातेदार प्यारचंद के खातेदारी में दर्ज हैं । नकल जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व व पश्चात दोनो पेश हैं तथा साथ में नकल जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल सभी असल पेश हैं के आधार पर सही दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा एवं पटवार हल्का बिनोता को कराये जाने की कृपा करावे। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से प्रार्थी रामीबाई वेबा दलीचंद तेली द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र आर.टी.ए. की मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । मौके पर पाया गया कि गांव बिनोता प0ह0 बिनोता में दर्ज आ0न0 2667/2483 रकबा 1.2600 हे0 किस्म बंगला खातेदार रामीबाई पत्नी दलींचद तेली सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं । मुताबिक संलग्न मिलान क्षेत्रफल सा0आ0न0 1483 मि0 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा का हाल आ0न0 2483 रकबा 5.72 हे0 होकर मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न हैं । मूल आ0न0 2483 की किस्म मुताबिक 2067–70 बीड 2 दर्ज थी जो कि सहवन से बढते नम्बर मे 2667/2483 में बंगला दर्ज हो गयी जो लिपिकीय त्रुटी हैं । पटवार हल्का बिनोता की रिपोर्ट अनुसार आ0न0 2667/2483 की किस्म बंगला से बीड 2 दर्ज किया जाना उचित हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा अनुसार गांव बिनोता प0ह0 बिनोता में दर्ज आ0न0 2667/2483 रकबा 1.2600 हे0 किस्म बंगला खातेदार रामीबाई पत्नी दलींचद तेली सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं । मूल आ0न0 2483 की किस्म मुताबिक 2067–70 बीड 2 दर्ज थी जो कि सहवन से बढते नम्बर मे 2667/2483 में बंगला दर्ज हो गयी जो लिपिकीय त्रुटी हैं । पटवार हल्का बिनोता की रिपोर्ट अनुसार आ0न0 2667/2483 की किस्म बंगला से बीड 2 दर्ज किया जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)